प्रेस नोट थाना रामगढ दिनांक 14-11-23 जनपद फिरोजाबाद।

थाना रामगढ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10-11-2023 को मिले अज्ञात शव की शिनाख्त कर, हत्या करने वाले तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

➢ **दिनांक 10-11-23 को थाना रामगढ क्षेत्रान्तर्गत गौरी शंकर डिग्री कॉलेज के पीछे एक शव मिला था जिसकी पहचान भूपेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र ज्ञान सिंह के रूप में हुई थी।**

विवरण घटनाः- दिनांक 10.11.2023 थाना रामगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव गौरी शंकर डिग्री कालेज के पीछे नवनिर्मित कालोनी मे पड़ा है इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच कर शव की शिनाख्त करायी गयी। मृतक के परिवार वालो ने शव की शिनाख्त भूपेन्द्र उर्फ कन्हैया पुत्र ज्ञान सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के रुप मे की घटना के सम्बन्ध मे मृतक के बडे भाई सोनवीर सिंह द्वारा थाना रामगढ़ पर मु0अ0सं0 626/23 धारा 147/148/149/302/120 बी/34 भादवि बनाम अवधेश पुत्र दीवन सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद आदि 06 नफर पंजीकृत कराया।

उक्त घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा पुलिस अक्षीधक नगर के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के पर्येवेक्षण में तीन टीमों का गठन किया गया जिसमें आज दिनांक 14.11.2023 को अभियुक्तगण की पतारसी सुरागरसी के दौरान प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ को सूचना मिली कि उक्त अभियोग मे नामित अभियुक्तगणों में से तीन अभियुक्त पुराना बाईपास बम्बा चौराहा हंस वाटिका थाना उत्तर फिरोजाबाद के पास खड़े हैं। इस सूचना पर थाना रामगढ पुलिस टीम द्वारा तीनों अभियुक्तों को सुबह 09.00 बजे बाईपास बम्बा चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि मृतक ने कमलेश से 200 रुपये उधार लिए थे। मृतक भूपेन्द्र से कमलेश ने पैसे मांगे तो भूपेन्द्र ने कमलेश के साथ शराब पीकर गाली गलौज कर दी थी तथा अन्य परिवारिजनों को भी रास्ते मे गाली गलौज कर बेईज्जत किया था। मृतक किसी से भी दबता नही था। बेईज्जती का बदला लेने के लिए दिनांक 09.11.2023 को भूपेन्द्र उर्फ कन्हैया की हत्या करने हेतु योजना बनायी गई। योजना के अनुसार मृतक को दावत मे चलने की कहकर घर से बुलाकर लाया गया था तथा शराब पिलाकर गौरी शंकर डिग्री कालेज के पीछे बन रही नई कालोनी में अंगौछा से गला घोटकर हत्या कर दी गई।तथा शव को पास मे झाड़ियों मे छिपा दिया गया था।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 626/2023 धारा 147/148/149/302/120 बी /34 भादवि थाना रामगढ़ फिरोजाबाद

गिरफ्तारी का दिनाक व स्थान- 14.11.2023 स्थान पुराना बाईपास बम्बा चौराहा हंस वाटिका के पास थाना उत्तर फिरोजाबाद

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.दीवान सिंह पुत्र सोवरन सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीब 55 वर्ष

2.विजय उर्फ चानू पुत्र दीवान सिंह निवासी उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष

3.मनोज उर्फ भिन्डी पुत्र लाल सिंह निवासी रानी नगर थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

<u>नाम पता फरार अभियुक्तगणः-</u>

1.अवधेश पुत्र दीवान सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

2. कमलेश पुत्र दीवान सिंह निवासी नगला पान सहाय थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीब 26 वर्ष

3.रघुराज पुत्र सोवरन सिंह निवासी रानी नगर थाना उत्तर फिरोजाबाद उम्र करीब 40 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
2. निरीक्षक अपराध रामप्रवेश सिंह थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
3. व0उ0नि0 अरुण कुमार त्यागी थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
4. उ0नि0 भूप्रकाश शर्मा थाना रामगढ फिरोजाबाद
5. है0का0 737 राजकुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
6. है0का0 343 योगेश कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
7. है0का0 726 मुकेश कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
8. है0का0 1046 जसवीर सिंह थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
9. का0 1330 योगेन्द्र कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
10. का0 329 गौरव कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
11. का0 1038 रमन चौधरी थाना रामगढ़ फिरोजाबाद